न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

III/निगरानी/भिण्ड/स्टांप अधि/2018/0775

श्री विनोद भार्गव द्वारा आज दि० 29-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-2-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 29/1/18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा दबोह, परगना लहार जिला भिण्ड (म.प्र.), द्वारा प्रबंधक कालीचरण शर्मा पुत्र श्री बी.एल. शर्मा, शाखा प्रबंधक

--आवेदक

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा उपपंजयीक लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)
2. रमेशचन्द्र गुप्ता पुत्र राधाशरण गुप्ता, निवासी- कस्वा दबोह परगना लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)

--अनावेदक

<u>न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भिण्ड द्वारा रा.प्र.क्र. 07/बी/103/12-13/धारा33 में पारित आदेश पारित दिनांक 10/12/2014 के विरुद्ध स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56(4) के अधीन पुनरीक्षण।</u>

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
29-01-2018

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

1. यहकि, आवेदक ने अपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दबोह तहसील लहार जिला भिण्ड में बैंकिग व्यवसाय संचालित करने के लिये अनावेदक क्रमांक 2 का भवन 2,500/- रु. मासिक किराय की दर से दिनांक 12/10/2012 को 5 वर्ष की कलावधि के लिये किराये पर लिया था इस किरायदारी का अनुबंध दिनांक 12/10/2012 को 1200/- रु. के स्टाम्प पर निष्पादित किया जाकर रजिस्ट्रीकरण हेतु उपपंजीयक, लाहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/भिण्ड/स्टाम्प अधि./2018/775

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-05-2019	आवेदक अधिवक्ता श्री आर.डी.शर्मा उपस्थित । प्रस्तुत निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा स्टाम्प अधिनियम की धारा 40(2) के अंतर्गत दिये गये आदेश दिनांक 10-12-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । भारतीय स्टाम्प संशोधन अधिनियम 2016 प्रकाशित दिनांक 23-10-2017 के अनुसार उक्त मामले को संभागीय आयुक्त को अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है । प्रस्तुत निगरानी आवेदन उक्त संशोधन पश्चात प्रस्तुत किया गया है । अत: विचारार्थ ग्राह्य न होने से वापिस किया जाता है । आवेदक सक्षम अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	